हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई0एस0ओ0 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

प्रेषकः	सेवा में,
सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।	सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक।

क्रमांक 248 / सी0सै0 दिनांक : 14.02.2023

विषयः—अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी / मार्च—2023 हेतु External/Internal प्रायोगिक परीक्षा के अंक एवं INA के अंक व GLS/ Co-Curricular Activity Grading ऑन—लाईन लेने बारे।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नानुसार सूचित किया जाता है किः—

सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी / मार्च—2023 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयी परीक्षार्थियों के लिए सभी विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 16.02.2023 से दिनांक 20.02.2023 तक निर्धारित किया गया है। सभी सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा प्रायोगिक विषयों की परीक्षाओं के अंक व INA के अंक तथा GLS (General Awareness and Life Skill Grade)/Co-Curricular Activity Grading दिनांक 16.02.2023 से दिनांक 22.02.2023 तक बोर्ड वैबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर विद्यालय की लॉगिन आई डी व पासवर्ड का उपयोग करते हुए ऑन—लाईन भरना सुनिश्चित करें।

निर्धारित तिथि तक जो विद्यालय प्रायोगिक विषयों की परीक्षाओं के अंक व INA के अंक तथा GLS(General Awareness and Life Skill Grade)/ Co-Curricular Activity Grading ऑन—लाईन नहीं भेजेंगे ऐसे विद्यालयों को 500 / —रूपये प्रति परीक्षार्थी व अधिकतम 5000 / —रूपये जुर्माने के साथ दिनांक 23.02.2023 से दिनांक 25.02.2023 तक ऑन—लाईन अंक अपलोड करने का अन्तिम समय प्रदान किया जाता है इसके उपरान्त किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए सम्बन्धित विद्यालय मुखिया स्वंय जिम्मेदार होगें।

इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय मुखिया निम्न सूचना (यदि काई ऐसा मामला हो तो केवल उनके लिए) उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें कि ''जिन विद्यालयी परीक्षार्थियों का चयन राज्य / राष्ट्रीय / अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खेलों में हुआ है तथा ऐसे परीक्षार्थी परीक्षाओं की निर्धारित तिथियों में किसी विषय / विषयों की परीक्षाओं में अपोयर नहीं हो सकते हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों की सूची साक्ष्यों सहित बोर्ड कार्यालय में परीक्षाओं से 10 दिन पहले उपलब्ध करवाए ताकि उनकी पुनः परीक्षाए आयोजित करवाने बारे मामला समय रहते प्रस्तुत किया जा सके।''

अतः सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक समय रहते कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

15/2/23

उप—सचिव(परीक्षाएं)
कृत्ते : सचिव